न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 35/2020

अनवान :

1. वंशीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र नंदराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. कृष्ण कुमार पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. लिलूराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. सन्तोष पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
वकील श्री रोहताश शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 4

दिनांक : 11-3-2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.253 है0, खसरा सं0 257 की 10.3070 है0, खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल क्षेत्रफल 16.3520 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 को उक्त कृषि भूमि अपने दादा मामचंद से विरासतन प्राप्त हुई है। चूंकि सुलतान के पिता नंदराम का देहान्त मामचंद के देहान्त से पहले हो चुका था।

वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादीया [illegible] कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग [illegible] है। इस प्रकार प्रतिवादीया सं0 4 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:05 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज को तर्क किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में वादी बंशीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम शोराटाडा सम्वत् 2019 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम श्योराटाडा सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित कराये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 को उक्त कृषि भूमि अपने दादा मामचंद से विरासतन प्राप्त हुई है। चूंकि सुलतान के पिता नंदराम का देहान्त मामचंद के देहान्त से पहले हो चुका था। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम श्योराटाडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम शोराटाडा सम्वत् 2019 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद कृषि भूमि वादी के परदादा मामचन्द वल्द गोमद के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना व वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में सुलतान के वारिसान में पत्नी परमेश्वरी देवी, तीन पुत्र कृष्ण कुमार, लीलूराम व बंशीलाल एवं एक पुत्री सन्तोष होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.253 है0, खसरा सं0 257 की 10.3070 है0, खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल क्षेत्रफल 16.3520 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी काश्तकारी भूमि दर्ज है का तन्हा प्रतिवादी सं0 1 सुलतान के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 संतोष ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़))

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 314/2019

अनवान

जयप्रकाश पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – वादी

बनाम

1 दयाराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 जयविन्द्र पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3 सरोज पुत्री दयाराम जाट निवासी जिगासरीछोटी तह0 भादरा।

4 सुमन पुत्री दयाराम जाट निवासी जिगासरीछोटी तह0 भादरा।

5 सुनीता पुत्री दयाराम जाट निवासी जिगासरीछोटी तह0 भादरा।

6 बैंक ऑफ बडोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट वादी
श्री सुरजीत बिजारणियां एड. प्रति0

निर्णय दिनांक

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही [illegible] छोटी के खाता सं0 38/72 के खसरा सं0 328 [illegible] .731 हेक्टेयर खसरा सं0 333/87 की 0.590 हैक्टेयर खसरा सं0 336/150 की 1.682 हैक्टेयर कुल किता 3 की 6.003 हैक्टेयर बारानी खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा रामवत की खातेदारी हुआ करती थी। जिसमे वादी का भी प्रतिवादीगण के साथ वादभूमि मे जन्म से हक अधिकार है जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा बनता है। उक्त वादभूमि की बाबत वादी एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया जिसमे प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ता 5 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था वह वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर वादभूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:05 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

परन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1, 3 ता 5 ने अपनी तरफ से राजीनामा पेश किया एंव वादी के दावा का कोई खण्डन पेश नही किया। प्रतिवादी सं0 6 स्टेट का जवाब पेश हुआ।प्रतिवादी सं0 2 जयविन्द्र के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया था तथा प्रतिवादी सं0 6 बैंक के रहन होने के चलते दावा मे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया था जिन्हे वकील वादी ने तर्क कर दिया। पत्रावली मे राजीनामा पेष होने पर पर पत्रावली मे कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 जयप्रकाश के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 व वादभूमि की दादालाई जमाबन्दी तथा प्रतिवादी दयाराम के हिस्सा मे आने वाली भूमि की रोही रामसरा के खाता सं0 38 व रोही मुन्दडिया के खाता सं0 53 की जमाबन्दी तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करवाा। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का जन्म से हक एंव अधिकार है। वादी के दावा का प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है एंव वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादी डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली मे पेश सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 जो कि वादी की सगी बहने है व प्रतिवादी सं0 1 वादी का पिता है, जिन्होने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे छोड [illegible] पर कुल वादभूमि छः भागों मे थी जिसमे से वादी व प्र[illegible] 2 को अपनी बहनों व पिता वाली भूमि मिलने पर वादी [illegible] सं0 2 वादभूमि बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई है। वा[illegible] एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के अलावा प्रतिवादी दयाराम के अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

जयप्रकाश बनाम दयाराम आदि

अत : वाद वादी डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 38/72 के खसरा सं0 328/12 की 3.731 हेक्टेयर खसरा सं0 333/87 की 0.590 हैक्टैयर खसरा सं0 336/150 की 1.682 हैक्टेयर कुल किता 3 की 6.003 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी दयाराम के नाम से दर्ज है, उसमे वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 5 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(मुकेश बारेठ)
आर ए एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : ...314.../ 2019

उनवान

जयप्रकाश पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादी

बनाम

1 दयाराम पुत्र रामपत जाट निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा ।
2 जयविन्द्र पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3 सरोज पुत्री दयाराम जाट निवासी जिगासरीछोटी तह0 भादरा।
4 सुमन पुत्री दयाराम जाट निवासी जिगासरीछोटी तह0 भादरा।
5 सुनीता पुत्री दयाराम जाट निवासी जिगासरीछोटी तह0 भादरा।
6 बैंक ऑफ बडोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा रोही मोजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 38/72 के खसरा सं0 328/12 की 3.731 हेक्टेयर खसरा सं0 333/87 की 0.590 हैक्टैयर खसरा सं0 336/150 की 1.682 हैक्टेयर कुल किता 3 की 6.003 हैक्टेयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी दयाराम के नाम से दर्ज है, उसमे वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 5 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 के बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक ...11-3-2020... को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:05 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक) भादरा

आर.ए.एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा।

Scanned with CamScanner